आदेश

सहायक परिचालक से प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक(यॉन्त्रिक) पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 26.04.2017 को उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ में सम्पन्न हुई थी। तत्समय स0परि0/5807 प्रमोद कुमार, नियुक्ति जनपद–गाजीपुर के विरुद्ध पंजीकृत मु0अ0सं0: 337/2011 धारा 452/504/506 भादवि थाना–गडवार, जनपद–बलिया मा0न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण चयन समिति द्वारा चयन वर्ष 2016–17 की रिक्ति के सापेक्ष इनका चयन परिणाम बन्द लिफाफा रखते हुए सम्बन्धित चयन वर्ष की 01 रिक्ति आरक्षित रखे जाने की संस्तुति प्रदान की गयी थी।

उल्लेखनीय है कि श्री प्रमोद कुमार को, उनके विरुद्ध पंजीकृत मु0अ0सं0 337/2011 धारा 452/504/506 भादवि थाना–गडवार, जनपद–बलिया में मा0न्यायालय जू0डि0एफ0टी0सी0/जे0एम0 बलिया के आदेश दिनांक 30.11.2018 द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया है तथा उक्त आदेश के विरुद्ध शासन की तरफ से कोई अपील योजित नही की गयी है।

मुहर बन्द लिफाफे की प्रक्रिया सम्बन्धी शासनादेश संख्या:13/21/89–का–1/1997 दिनांक 28.05.1997 के खण्ड–7(क) में प्राविधानिक है कि "पूर्णतया निर्दोष पाये जाने की दशा में–आरोपित कार्मिक, जिसके विषय में चयन समिति की संस्तुति मुहर बन्द लिफाफे में रखी गयी है, को यदि पूर्ण रुप से दोषमुक्त पाया जाता है तो नियुक्ति प्राधिकारी(या यथास्थिति चयन कराने वाले विभाग के सचिव या प्रमुख सचिव, जिनकी अभिरक्षा में चयन समिति का कार्यवृत्त रखा जाता है) द्वारा लिफाफे को खोला जायेगा और तदोपरान्त इसमें रखी संस्तुति के क्रियान्वयन की कार्यवाही की जायेगी। ऐसे मामले में यदि लिफाफे में रखी संस्तुति के अनुसार पदोन्नति हेतु संस्तुत किया गया हो तो उसे संदर्भित चयन के आधार पर प्रोन्नत किये गये उसके कनिष्ट की प्रोन्नति की तिथि से नोशनल प्रोन्नत माना जायेगा और तदनुसार आदेश निर्गत किये जायेंगे।"

उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 28.05.1997 में निहित उपरोक्त व्यवस्था के आलोक में स0परि0/5807 प्रमोद कुमार(पीएनओ–061023707) के बन्द लिफाफा चयन परिणाम को खोला गया। उक्त लिफाफे में दिनांक 26.04.2017 को चयन समिति द्वारा श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री राम विलाश को प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक(यॉ) के पद पर चयन वर्ष 2016 में चयन की वरिष्ठताक्रम के अनुसार पदोन्नति हेतु उपयुक्त मूल्यांकित किया गया तथा इस शर्त के साथ इनकी पदोन्नति की संस्तुति की गयी कि उक्त मुकदमें में इन्हे निर्दोष पाया जाय।

अतएव चयन समिति द्वारा की गयी उपरोक्तानुसार संस्तुति एवं मुहर बन्द लिफाफे की प्रक्रिया सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 28.05.1997 के खण्ड–7(क) पर प्रदत्त व्यवस्था के आलोक में स0परि0/5807 प्रमोद कुमार(पीएनओ–061023707), वर्तमान नियुक्ति जनपद–गाजीपुर को चयन वर्ष 2016–17 की रिक्ति के सापेक्ष उक्त चयन के उनके आसन्न कनिष्ठ सहायक परिचालक/5185 बबिता सिंह के प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक(यॉ) पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 01.05.2017 से वेतन बैण्ड 9300–34800 व ग्रेड पे रु0 4200/– में प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक(यॉ) पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान की जाती है।

ह0/– 4.6.19

(सुनील कुमार शुक्ल)
राज्य रेडियो अधिकारी(प्रशासन)
उ0प्र0पुलिस रेडियो मुख्यालय,
महानगर, लखनऊ।

संख्या: पी–860/2016(पार्ट–2)
दिनांक: जून 04 ,2019

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. उपमहानिरीक्षक(पुलिस दूरसंचार)आपरेशन, लखनऊ।
2. पुलिस अधीक्षक/रेडियो निरीक्षक, गाजीपुर।
3. अपर राज्य रेडियो अधिकारी, वाराणसी।
4. सहायक रेडियो अधिकारी, गाजीपुर।
5. रेडियो निरीक्षक, प्रतिसार को हि0आ0पु0 में अंकन हेतु।
6. रेडियो निरीक्षक, कार्मिक।
7. प्रधान लिपिक, चरित्र पंजी शाखा उ0प्र0पुलिस रेडियो मुख्यालय, लखनऊ।
8. प्रभारी, सरवर सेल उ0प्र0पुलिस रेडियो मुख्यालय, लखनऊ को पुलिस विभाग की वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

Scanned by CamScanner